न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 5529-दो/2016 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 15-9-2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त रामपुर नैकिन जिला सीधी - प्रकरण कमांक 50 अ-12/2015-16

गुलाब वती पत्नि कीर्ति देव ग्राम विहरिया

टोला तहसील रामपुर नैकिन जिला- सीधी ---आवेदकग

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अभिताव चतुर्वेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 11-8-2017 को पारित)

यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त रामपुर नैकिन जिला सीधी के प्रकरण कमांक 50 अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 15-9-2016 के विरूद्ध म0प्र0भू राज0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने राजस्व निरीक्षक वृत्त रामपुर नैकिन को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि स0 क0 454/मिन-1

स्थित ग्राम बेलकएरी के सीमांकन प्रार्थना की। राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 50 अ-12/2015-16 पॅजीबद्व किया तथा हलका पटवारी सहित दिनॉक 10-6-16 को स्थल पर जाकर सीमांकन किया। सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत हुई। राजस्व निरीक्षक ने हितबद्वपक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 15-9-2016 पारित किया तथा आवेदक का भूमि पर स्वामित्व न होना पाकर किया गया सीमांकन अमान्य कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि स्वत्व का निराकरण करने का अधिकार राजस्व निरीक्षक को नहीं है तथा सीमांकन के समय कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है । आपत्तिकर्ता का न तो सीमांकित भूमि पर हक है और न ही कब्जा है जिसके कारण आपत्तिकर्ता को प्रकरण में भाग लेने का विधिक अधिकार नहीं है। राजस्व निरीक्षक को धारा 129 के अंतर्गत किये गये सीमांकन पर आदेश पारित करना था किन्तु उन्होंने ऐसा न करके त्रृटि की है। उन्होंने राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 15-9-16 को निरस्त करते हुये सीमांकन स्वीकार करने की प्रार्थना की।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में राजस्व निरीक्षक के

आदेश दिनांक 15-9-2016 के अवलोकन पर पाया गया कि राजस्व निरीक्षक ने आदेश में निम्नानुसार अंकित कर सीमांकन अमान्य किया है -

" श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय चुरहट के आदेश की फोटो कापी का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि उपखंड अधिकारी चुरहट जिला सीधी के आदेश क. 814 दिनांक 6-8-2005 को त तत्तकालीन उपखंड अधिकारी श्री ए.डी.श्रीवास्तव के द्वारा आदेश के पेज नं. 9 में कमांक 21 में अंकित भूमिस्वामी गुलावती का नाम निरस्त किये जाने हेतु दिया गया है । "

जब सीमांकित भूमि पर से आवेदक गुलाब वती पत्नि कीर्ति देव शर्मा का नाम विलोपित हो चुका है एंव आवेदक को सीमांकित भूमि पर स्वामित्व प्राप्त नहीं है वह ऐसी भूमि का सीमांकन कराने एंव सीमांकन उपरांत सीमाचिन्हों अनुसार कब्जा पाने की पात्र नहीं है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक वृत्त रामपुर नैकिन जिला सीधी ने प्रकरण क्रमांक 50 अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 15-9-2016 से सीमांकन को अमान्य करने में त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव राजस्व निरीक्षक वृत्त रामपुर नैकिन जिला सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 50 अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 15-9-2016 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर